Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding illegal sand mining from Rivers in Aurangabad district of Bihar -laid.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार के औरंगाबाद जिला के सोन और बटाने नदियों और गया जिला के मोरहर नदी से खनन नियमों का उल्लंघन कर अवैध तरीके से बालू की निकासी मशीन (पोकलेन) से किया जा रहा है । बालू निकासी से अब नदियों के बेड मे मिट्टी शेष रह गई है और नमी समाप्त हो जाने के कारण क्षेत्र में भू-जल स्तर काफी नीचे हो गया । परिणामतमः चापाकल और कुंआ का पानी सूख गया है और क्षेत्र के लोगों को चापाकल को उखाड़ कर पुनः भूमि की निचली सतह से पानी निकालने के लिए बोरिंग कराना पड़ रहा है । इसके परिणामस्वरूप लोगों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है ।

नियम के विरूद्ध बालू का परिवहन, भंडारण और उठाव आदि से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और ऐसी स्थिति से क्षेत्र में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और तापमान में वृद्धि हो रही है । अभी हाल में मेरे क्षेत्र में लू से सैकड़ों लोगों की मौत हुई । क्षेत्र में पीने का पानी का गंभीर अभाव है । 2-3 किलोमीटर की दूरी से लोग पानी लाने को विवश है । यह अवैध उत्खनन का कार्य ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है ।

मेरा आग्रह है कि उपर्युक्त मामले की तत्काल उच्चस्तरीय जांच विशेषज्ञ पदाधिकारियों/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदि के द्वारा सुनिश्चित दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई कर पर्यावरण के बचाव के लिए अवैध खनन और भंडारण पर रोक लगाई जाए और क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि का आबंटन किया जाए ।